वित्त निर्देश 24/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 266/एफ–2014–02–00470/वित्त/नियम/चार   नया रायपुर, दिनांक 13 जून, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :– सामान्य भविष्य निधि खातों के ऋणात्मक शेष के रोकथाम के संबंध में।
संदर्भ :– वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक/272/एफ–2014–02–00470/वित्त/नियम/ चार/14 नया रायपुर, दिनांक 25.06.2014 (वित्त निर्देश 36/2014)।

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 25 जून 2014 द्वारा सामान्य भविष्य निधि के ऋणात्मक शेष खातों के कारण, निवारण तथा ऋणात्मक शेष प्रकरणों के संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। महालेखाकार छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 9.3.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य में वर्तमान में 4,460 सामान्य भविष्य निधि के ऋणात्मक शेष के प्रकरण अस्तित्व में है, इससे स्पष्ट है कि ऋणात्मक शेष प्रकरणों के निराकरण के संबंध में उक्त निर्देशों का पालन आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा गंभीरता से नहीं किया जा रहा है। समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे ऋणात्मक शेष के प्रकरणों के निराकरण हेतु उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि आहरण संवितरण अधिकारी /कोषालय अधिकारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि नियम 15 एवं 16 के तहत् अग्रिम/आंशिक अंतिम विकर्षण के प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए:–

आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :–

1. आहरण संवितरण अधिकारी उनके स्थापना में पदस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा शेष संबंधी विवरण संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन की वेबसाईट ekoshonline.cg.nic.in में AG interface विकल्प का चुनाव कर User ID एवं password के रूप में DDO code प्रविष्ठ कर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त जानकारी महालेखाकार छत्तीसगढ़ के कार्यालयीन वेबसाईट ag36g.cag.gov.in में जी.पी.एफ. वार्षिक पत्रक open में जाकर भी प्राप्त किया जा सकता है। ID तथा password उपरोक्तानुसार दोनों वेबसाईट में समान है। यदि किसी अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाते में ऋणात्मक शेष परिलक्षित होता है तो कार्यालय प्रमुख द्वारा उनके जी.पी.एफ. पास बुक के पूर्ण विवरण के साथ समाशोधन का

प्रस्ताव महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए। समाशोधन के प्रस्ताव में वर्षवार जमा एवं आहरण का विवरण दर्शाते हुए, पूर्व पदस्थापना का विवरण, आहरण संवितरण अधिकारी का पदनाम, मुख्य शीर्ष जिसमें कटौती की गयी हो, कोषालयीन व्हाउचर क्रमांक का विवरण तथा अभिदाता को आबंटित लेखा क्रमांक का पूर्ण विवरण शामिल होना चाहिए। समाशोधन प्रस्ताव पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा आवश्यक सत्यापन पश्चात् लेखों में सुधार किया जा सकेगा।

2. खातों में समाशोधन के उपरांत अंतिम रूप से सत्यापित ऋणात्मक शेष की वसूली यथा शीघ्र पूर्ण करें।

कोषालय अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :–

1. कोषालय अधिकारी सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम/आंशिक अंतिम विकर्षण के देयक पारित करते समय AG interface में अभिदाता के लेखा क्रमांक में अंतिम शेष का अवलोकन करेंगे। इस हेतु उन्हें login ID तथा password एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध कराया गया है। यदि अभिदाता के खाते में ऋणात्मक शेष परिलक्षित होता है तो संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी को समाशोधन संबंधी कार्यवाही उपरांत देयक प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ देयक वापस किया जाएगा।

वर्तमान में महालेखाकार छत्तीसगढ़ द्वारा सामान्य भविष्य निधि अंशदान कटौतियां अभिदाता के खातों में अद्यतन करने की कार्यवाही मासिक आधार पर न की जाकर वार्षिक आधार पर की जाती है, अतः वेबसाईट में अभिदाता के अंतिम शेष की उपलब्ध जानकारी एक वर्ष पूर्व की होगी। जिस वर्षान्त तक खाते में अंशदान अद्यतन किया गया है उस वर्ष से आगे के माहों का अंशदान की कटौती का विवरण वेबसाईट पर दर्शित जमा के अंतिम शेष में जोड़कर आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित गणना पत्रक के साथ देयक प्रस्तुत किए जाने पर ही कोषालय अधिकारी द्वारा नियमानुसार परीक्षण उपरांत देयक पारित किया जाएगा।

अपेक्षा है कि कोषालय अधिकारी एवं आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे राज्य में सामान्य भविष्य निधि के ऋणात्मक शेष के लंबित प्रकरणों का शत् प्रतिशत निराकरण हो सके।

(अमिताभ जैन)
प्रमुख सचिव

पृ.क्र. 267 / एफ–2014–02–00470 / वित्त / नियम / चार नया रायपुर, दिनांक 13 जून, 2017
प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
10. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
11. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
12. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
13. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
14. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
15. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
16. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
17. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

18. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

(प्रेमा गुलाब एक्का)
अवर सचिव